न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री उमरावमल अग्रवाल, जातिः- अग्रवाल, उम्र 45 वर्ष निवासी- सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

फर्मः-मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर, जिला-सिरोही

प्रकरण संख्याः 12/2019

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी मुकेश कुमार अग्रवाल

दिनांक 21 अगस्त, 2019

-: निर्णय :-

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 14.2.2019 को समय 11.30 ए.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री उमरावमल अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर, जिला- सिरोही है एवं मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर में मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर फर्श पर 50Kgx1 सील्ड जूट बैग में मौजूद Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) को खोलकर एकरुप किया व हिलामिलाकर इस एकरुप की हुई Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम एक टिन के टब में खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खरीद रसीद बिल पर विक्रेता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर है। फार्म संख्या- 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

कराये एवं स्वयं मैने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टीक के जार दिखाये। लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् चारों खाली जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया, तत्पश्चात् खरीद शुदा Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) को चारों साफ सूखे, खाली, जारों में बराबर-बराबर भरा, एयरटाईट बंद किया। चारों नमूनो भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर, प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-895 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.2.2019 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 14.2.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्तं हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड)का नमूना S-895 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के

....पेज तीन पर

प्रा०, जिला परिषद्
सिरोही-307001.

तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 21.8.2019 को प्रतिवादी उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर अपनी गलती स्वीकार की। प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया है कि दिनांक 14.2.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो मूंग मोगर का नमूना जांच हतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्ड पाया गया, उसका बिल मेरे पास नही है। यह मेरी प्रथम गलती है, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 21.8.2019 को ही उभय पक्ष की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि यह प्रतिवादी अभियुक्त की प्रथम गलती है, वह भविष्य में इस प्रकार की सामग्री का विक्रय नही करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 14.2.2019 को 11.30 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त मुकेश किराणा स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री उमरावमल अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मुकेश किराणा स्टोर के निरीक्षण

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री लक्ष्मण देवासी पुत्र श्री बजाराम देवासी, रेबारी वास, जनापुर, जिला- सिरोही एवं श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता मुकेश कुमार अग्रवाल को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान के अन्दर फर्श पर 50 किलोग्राम के एक सील्ड जूट बैग में मौजूद खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) को खोलकर हिलामिलाकर एकरुप कर इस एकरुप की हुई Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम एक टिन के टब में खरीदी व Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 300/- (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता मुकेश कुमार अग्रवाल व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-895, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता मुकेश कुमार अग्रवाल व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता तथा उक्त गवाहान को 4 साफ सूखे एवं खाली जार दिखाकर प्रत्येक जार पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक जार में खरीद शुदा खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) को बराबर-बराबर मात्रा में भरा तथा चारों जारों को एयरटाईट ढ्क्कन से बंद किया। तत्पश्चात् चारों नमूनों भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-895 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता मुकेश कुमार अग्रवाल व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता मुकेश कुमार अग्रवाल व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता मुकेश कुमार अग्रवाल से खाद्य पदार्थ Split Pulse

....पेज पांच पर

प्रति, जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से लिफावों में रखकर लिफावों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.2.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 14.2.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-895 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./118/Act/2019/ 171 दिनांक 27.2.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता मुकेश कुमार अग्रवाल से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता मुकेश कुमार अग्रवाल को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक:एफएसएसए/2019/3065-68 दिनांक 01.4.2019 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ Split Pulse Moong (मूंग मोगर)(जय डबल हाथी ब्राण्ड) का खरीद बिल भी पेश नही किया व न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

.....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-52 के तहत प्रतिवादी मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री उमरावमल अग्रवाल, जाति-अग्रवाल, निवासी- सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर, तहसील- पिण्ड्वाडा, जिला-सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर, तहसील- पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में उक्त तरह के मिथ्याछाप उत्पाद का विक्रय नही किया जावे। साथ ही, प्रतिवादी मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री उमरावमल अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- सारणेश्वर मंदिर के पास, जनापुर, तहसील- पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही को आदेशित को किया जाता है कि उस पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय. निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)